क्रमांक 2150-2 जी0एस0-II-77/5839

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (ना.) हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, तथा सभी जिला सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 9 जून, 1977 ।

विषय : भूतपूर्व सैनिकों को सिविल सेवा में नियुक्ति के समय सैनिक सेवा का लाभ देना ।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान पंजाब नैशनल अमरजेंन्सी (कन्सेशन) नियमावली 1965 के नियम 4 की ओर दिलाऊं जिसके अनुसार भूतपूर्व सनिकों को सिविल पदों पर नियुक्ति के समय उन द्वारा आपातकालीन अवधि के दौरान की गई सैनिक सेवा का लाभ वरिष्ठता, वेतन वृद्धि इत्यादि की ओर दिया जाता है किन्तु यह लाभ प्रथम नियुक्ति पर ही दिया जाता है । अब प्रश्न यह पैदा हुआ है कि यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने किसी अन्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में फौज से रिलीज हो कर नौकरी की हो तो उस की वह नियुक्ति पहली सिविल नियुक्ति गिनी जाये या नहीं । पंजाब नेशनल अमरजैंन्सी (कन्सेशन) रूलज केवल राज्य सरकार पर लागू होते हैं और उनमें "प्रथम सिविल नियुक्ति" से समय केवल हरियाणा राज्य में पहली सिविल नियुक्ति से है । आपसे अनुरोध किया जाता है कि भूतपूर्व सैनिकों को सिविल पद पर नियुक्ति के समय सैनिक सेवा का लाभ देते समय उपरोक्त कलेरिफिकेशन को ध्यान में रखा जाये ।

भवदीय,
हस्ता0
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते/0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित :--

वित्तायुक्त, राजस्व हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।